Gunah Ki Pahchan (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 272
Weekly Booklet : 272

गुनाह, ज़ुल्मते क़ल्ब, वसाविसे शैतानी, क़ल्बी व बातिनी गुनाह और इन गुनाहों की मा'लूमात हासिल करने की अहम्मिय्यत से मुतअ़ल्लिक़ अहम इ़ल्मी सुवालात व जवाबात पर मुश्तमिल एक अहम रिसाला

सफ़्हात 30

गुनाह की पहचान

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या
(दा'वते इस्लामी इन्डिया)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **गुनाह की पहचान**
सिने त़बाअ़त : रबीउ़ल आख़िर **1444** हि., नवम्बर **2022** ई.
ता'दाद : 000

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**गुनाह की पहचान**"

मजलिसे **अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद -1, गुजरात

MO. 9898732611 • Email : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

गुनाह की पहचान

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** क़ियामत के रोज़ **अल्लाह** पाक के अ़र्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, तीन शख़्स **अल्लाह** पाक के अ़र्श के साए में होंगे। अ़र्ज़ की गई **: या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **!** वोह कौन लोग होंगे ? इर्शाद फ़रमाया **:** ﴾1﴿ वोह शख़्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे ﴾2﴿ मेरी सुन्नत को ज़िन्दा करने वाला ﴾3﴿ मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाला। (البدور السافرہ، ص131، حدیث:366)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

गुनाह की ता'रीफ़

सुवाल : ख़ता पर गुनाह का इ़त्लाक़ कब होता है ? नीज़ क्या शरीअ़त में भूल पर भी गुनाह मिलता है ? मसलन **:** ब ह़ालते रोज़ा ग़लती व भूल से खा, पी लिया, या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बा'द नमाज़ याद आई, तो इस का क्या हुक्म होगा ?

जवाब : रोज़ादार को अगर रोज़ा याद न हो और खा, पी ले, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं जाता, चे जाए कि गुनाह हो और अगर रोज़ा याद है, मगर कुल्ली करते वक़्त ग़लती से पानी ह़ल्क़ में चला गया, तो इस सूरत में रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन इस सूरत में गुनाह नहीं, अलबत्ता रोज़े की क़ज़ा

लाज़िम है। येही मुआ़मला नमाज़ का है, अगर किसी शख़्स को नमाज़ पढ़ना याद नहीं रहा, या सोता रह गया और नमाज़ का वक़्त निकल गया तो जब याद आए तब पढ़ ले कि अब क़ज़ा पढ़ना ज़िम्मे पर फ़र्ज़ है। अलबत्ता इस सूरत में नमाज़ क़ज़ा करने का गुनाह नहीं मिलेगा। सरकारे दो आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : या'नी जो शख़्स नमाज़ को भूल जाए या नमाज़ के वक़्त में सोता रह जाए, तो जब उसे याद आए उसी वक़्त नमाज़ पढ़ ले कि येही उस का वक़्त है।[1]

इस ह़दीसे मुबारक में सोने वाले शख़्स की सिर्फ़ नींद की वज्ह से नमाज़ रह गई और क़स्दन तर्क की सूरत नहीं पाई गई, तो बता दिया गया कि उसे नमाज़ छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा, इसी त़रह़ अगर नमाज़ पढ़ना भूल गया ह़त्ता कि नमाज़ का वक़्त भी निकल गया, तो अब भी गुनाह नहीं, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा बहर सूरत लाज़िम होगी।

दिल का ज़ंग दूर करने के 4 त़रीक़े

सुवाल : दिल अगर गुनाहों की वज्ह से ज़ंग आलूद हो जाए, मुर्दा व सियाह हो जाए, तो उस ज़ंग, सियाही और दिल के मुर्दा पन को दूर करने के क्या त़रीक़े हैं ?

जवाब : दिल के ज़ंग को दूर करने का सब से बड़ा और बेहतरीन ज़रीआ़ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ और उस के रसूले करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मह़ब्बत और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का ख़ौफ़ है, येह वोह अ़ज़ीम चीज़ें हैं जिन के ज़रीए़ दिल का ज़ंग दूर होता है, अब रही येह बात कि "**मह़ब्बते रसूल** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" का वोह कौन सा पहलू है जिस से दिल का ज़ंग दूर होता है ? और ख़ौफ़े ख़ुदा

1 ... ابن ماجہ، کتاب الصلاۃ، باب من نام عن الصلاۃ او نسیہا، ص227، حدیث: 695

की किस कैफ़िय्यत के ज़रीए दिल का मैल दूर किया जा सकता है ? तो याद रखें कि महब्बत का अस्ल मफ़्हूम **''क़ल्ब का मैलान नीज़ दिल का पसन्दीदा चीज़ की त़रफ़ माइल होना है।''** फिर ख़ौफ़े ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ और महब्बते मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बरकत से जब नीचे बयान किये गए आ'माल पर इस्तिक़ामत नसीब हो जाए तो दिलों का ज़ंग उतर जाता है। वोह आ'माल येह हैं :

﴾1﴿ तिलावते क़ुरआने मजीद :

क़ुरआने पाक की तिलावत तदब्बुर या'नी ग़ौरो फ़िक्र के साथ हो, नीज़ समझ कर और ज़ाहिरी व बात़िनी आदाब के साथ तिलावत की जाए। यहां आदाब से मुराद शर्ई अह़काम के साथ उस के मुस्तह़ब्बात का ख़याल रखना है, जैसे तिलावत करते हुए पूरी तवज्जोह क़ुरआने पाक की त़रफ़ हो, क़ारी कलामे इलाही का तसव्वुर करते हुए और यूं पढ़े जैसे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से हम कलाम हो रहा है और वोह मह़सूस करे कि क़ुरआने पाक की नूरानिय्यत उस के दिल में दाख़िल हो रही है और क़ुरआने मजीद उस के दिल का ज़ंग धो रहा है। अगर कोई शख़्स क़ुरआने करीम को इन ह़सीन तसव्वुरात के साथ समझते हुए पढ़ेगा तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ उस के दिल का ज़ंग बहुत तेज़ी के साथ दूर होगा।

﴾2﴿ ज़िक्रे इलाही :

इसी त़रह़ अगर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का ज़िक्र, फ़िक्रो तवज्जोह के साथ हो और बे तवज्जोही व ग़फ़्लत न पाई जाए, बल्कि बत़ौरे ख़ास बारगाहे इलाही की ह़ाज़िरी को दिलो दिमाग़ में जमाते हुए **अल्लाह** तआ़ला का ज़िक्र किया जाए, ज़िक्रे इलाही के कलिमात जैसे ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'', ''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر'',

''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم''، ''سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم''، ''وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه'' येह और इस त़रह़ के जितने भी अज़्कार हैं उन के ज़रीए **अल्लाह** तआ़ला को याद किया जाए, यूंही ज़िक्र करते हुए **अल्लाह** तआ़ला की ने'मतें याद की जाएं तो ऐसे ज़िक्र की बरकत से दिल की नूरानिय्यत में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा होता है।

﴾3﴿ मौत की याद ! :

मौत, क़ब्र और आख़िरत येह तीन चीज़ें वोह हैं जो दिल की सियाही दूर करने में बहुत मुआ़विन हैं। आदमी मौत को याद करता है तो उस का दिल नर्म पड़ जाता है। वोह क़ब्रों को देखता और दूसरों की मौत पर तवज्जोह करता है तो उसे अपनी क़ब्र याद आती है। वोह क़ब्र में जाने और अपने बदन की बोसीदगी याद करता है तो उस का दिल नर्म पड़ता है। वोह आख़िरत के मुआ़मलात, **अल्लाह** तआ़ला की बारगाह में पेशी और ह़ाज़िरी का तसव्वुर करता है, नामए आ'माल दिये जाने, क़ियामत की गरमी, ह़श्र की प्यास और पुल सिरात़ से गुज़रने को याद करता है तो उस के दिल से दुन्या की मह़ब्बत, गुनाहों की लज़्ज़त और ख़्वाहिशात की कसरत निकल जाती है और उसे ज़ुल्मते क़ल्ब से नजात मिल जाती है। इसी को ''शर्ह़े सद्र'' भी कहा जाता है, ह़दीसे पाक में है, नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : नूर जब सीने में दाख़िल होता है तो सीना खुल जाता है। तो अ़र्ज़ की गई : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! क्या इस की कोई निशानी है जिस से नूर पहचाना जाए ? इर्शाद फ़रमाया : हां धोके की जगह (दुन्या) से दूर रहना, दाइमी घर (आख़िरत) की त़रफ़ रुजूअ़ करना और मौत आने से पहले उस की तय्यारी करना।[1]

1 ...شعب الایمان، باب فی الزھد وقصر الامل، 7/352، حدیث:10552

﴾4﴿ सोह़बते सालिह़ीन :

अच्छी सोह़बत दिल का ज़ंग दूर करने के लिये अ़मली त़ौर पर सब से ज़ियादा मुअस्सिर है। बा'ज़ अवक़ात एक अच्छी निशस्त आदमी की ज़िन्दगी भर के ज़ंग को दूर कर देती है, जैसे हमारे सामने बीसियों नहीं, बल्कि सेंकड़ों ऐसे वाक़िआ़त हैं कि किसी नेक आदमी की सोह़बत में बैठने या उस के साथ एक सफ़र करने से दिल की दुन्या बदल गई और इत्तिबाए़ सुन्नत व शरीअ़त की तौफ़ीक़ नसीब हो गई। ज़िन्दगी में इतनी बड़ी तब्दीली दर ह़क़ीक़त दिल का ज़ंग साफ़ होने के सबब है कि जब दिल की सियाही ज़ाइल होती है तो दिल में ऐसी नरमी, चमक, रोशनी और नूर पैदा हो जाता है कि आदमी फ़ौरन मुतवज्जेह इलल्लाह या'नी **अल्लाह** तआ़ला की त़रफ़ मुतवज्जेह हो जाता है और नेकियों के रास्ते पर चल पड़ता है। सोह़बते सालिह़ीन की बरकत से आदमी को ख़ौफ़े ख़ुदा, मह़ब्बत इलाही और इ़श्क़े मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नसीब हो जाता है, क़ुरआने पाक की तिलावत की तौफ़ीक़ मिलती और ज़िक्रो दुरूद में मश्ग़ूलिय्यत का ज़ौक़ पैदा होता है। मौत और क़ब्रो आख़िरत की याद भी नसीब हो जाती है। अल ग़रज़ ! अगर ज़ियादा तवज्जोह अच्छी सोह़बत के ह़ुसूल पर कर ली जाए, तो ऊपर दर्ज तमाम चीज़ों का ह़ुसूल बहुत आसान हो जाता है। अच्छी सोह़बतें वैसे तो कमयाब हैं, मगर नापैद नहीं, सच्ची त़लब के साथ कोशिश करने वालों को आज भी अच्छी सोह़बत नसीब हो जाती है। फ़र्दे वाह़िद का क़ुर्ब न भी मिले तब भी एक इज्तिमाई नेक माह़ोल ज़रूर दस्त याब है, जैसे दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार इज्तिमाआ़त और मदनी क़ाफ़िले। अगर कोई शख़्स इन्हें इख़्तियार कर लेता है तो **अल्लाह**

तआ़ला से बहुत हुस्ने ज़न है कि उसे नेक सोह़बत की बरकतें अ़ता फ़रमा दे।

गुनाह की पहचान का त़रीक़ा

सुवाल : गुनाह की पहचान का क्या त़रीक़ा है, जिसे अपना कर गुनाहों से बचा जा सकता है ?

जवाब : गुनाह की पहचान का सब से पहला त़रीक़ा हुसूले इ़ल्म ही है, क्यूं कि इ़ल्म ही सब से बड़ा ज़रीआ़ है जिस के ज़रीए़ गुनाह की पहचान होगी। इस इ़ल्म की कई जिहतें हैं, जैसे अगर गुनाहे कबीरा की ता'रीफ़ पूरी त़रह़ ज़ेह्न में हो तो आदमी बहुत से उमूर में गुनाह का हुक्म फ़ौरी त़ौर पर जान लेगा। इसी त़रह़ गुनाहे सग़ीरा की ता'रीफ़ मा'लूम हो तो इस से बहुत सारे गुनाहों का पता चल जाएगा, जैसे फ़र्ज़ का तर्क गुनाहे कबीरा है, वाजिब का तर्क गुनाहे सग़ीरा है, लेकिन गुनाहे सग़ीरा बार बार किया जाए तो गुनाहे कबीरा बन जाएगा। सुन्नते मुअक्कदा के तर्क पर इसरार करना, जैसे ज़ोह्र की पहली चार सुन्नत बार बार न पढ़ना, गुनाह की ह़द में दाख़िल कर देता है। फिर इसी त़रह़ क़ुरआनो ह़दीस में वोह चीज़ें जिन से सराह़तन मन्अ़ किया गया है वोह गुनाह हैं, मसलन : अपनी जानों को क़त्ल करना और बदकारी करना, अपनी औलाद को क़त्ल करना वग़ैरा, चुनान्चे इर्शाद फ़रमाया :

﴿وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ﴾ (پ5، النسآء:29)
तरजमा : और अपनी जानों को क़त्ल न करो।

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى﴾ (پ15، بنی اسرائیل:32)
तरजमा : ज़िना के पास न जाओ।

﴿وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ﴾ (پ8، الانعام:151)
तरजमा : और अपनी औलाद को क़त्ल न करो।

इस त़रह़ की वोह सारी आयात जिन में ख़ुसूसी त़ौर पर कोई हुक्म या मुमानअ़त बयान की गई हो, उन के पढ़ने से मा'लूम हो जाता है कि फ़ुलां फ़ुलां काम ना जाइज़ व ह़राम हैं मसलन कोई शख़्स जब क़ुरआने पाक की येह आयत पढ़ेगा :

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۙ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۹﴾

(پ18، النور:19)

तरजमा : बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसल्मानों में बे ह़याई की बात फैले उन के लिये दुन्या और आख़िरत में दर्दनाक अ़ज़ाब है और **अल्लाह** जानता है और तुम नहीं जानते।

येह आयत पढ़ते या सुनते ही उसे पता चल जाएगा कि बे ह़याई फैलाना ह़राम है, यूंही अगली आयत पढ़ते ही वाज़ेह़ हो जाएगा कि बे ह़याई बज़ाते ख़ुद भी ह़राम है, फ़रमाया :

﴿وَ یَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ ۚ﴾

(پ14، النحل:90)

तरजमा : और (**अल्लाह**) बे ह़याई और हर बुरी बात और ज़ुल्म से मन्अ़ फ़रमाता है।

इसी त़रह़ दर्जे ज़ैल आयत पढ़ते ही मा'लूम हो जाएगा कि किसी यतीम का माल अपने तसर्रुफ़ में लाना कैसा है ? चुनान्चे फ़रमाया :

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ۝۱۰﴾ (پ4، النسآء:10)

तरजमा : बेशक वोह लोग जो ज़ुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वोह अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अ़न्क़रीब येह लोग भड़क्ती हुई आग में जाएंगे।

मा'लूम हुवा कि गुनाहों की पहचान के लिये इल्म होना ज़रूरी है, लिहाज़ा इल्म में इज़ाफ़े के लिये कलामे पाक और अहादीसे त़य्यिबा को फ़हमो तदब्बुर के साथ पढ़ना, समझना, नीज़ दीनी किताबें पढ़ना निहायत अहम और मुफ़ीद है।

क़ुरआनो ह़दीस में सराह़तन मज़्कूर गुनाहों के इलावा उ़लमाए किराम ने उ़लूमे दीनिया के फ़हमो तदब्बुर के ज़रीए़ भी बहुत से गुनाहों को बयान किया होता है जो सराह़तन क़ुरआनो ह़दीस में मज़्कूर नहीं हैं, लेकिन इन ही की रोशनी से मा'लूम होता है कि येह भी ना जाइज़ हैं, जैसे रियाकारी की बारीकियां। अब रियाकारी के बारे में क़ुरआने पाक की आयत तो इतनी है कि रियाकारी के ज़रीए़ अपने आ'माल बरबाद न करो :

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰىۙ كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ﴾ (پ3، البقرۃ:264)

तरजमा : ऐ ईमान वालो ! एह़सान जता कर और तक्लीफ़ पहुंचा कर अपने सदक़े बरबाद न कर दो, उस शख़्स की त़रह़ जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिये ख़र्च करता है।

या दीगर आयात हैं जिन में रियाकारी की वज्ह से अ़मल बरबाद होने का बयान है, लेकिन रियाकारी की तफ़्सीलात और मुख़्तलिफ़ सूरतें उ़लमाए किराम ही ने मुस्तम्बत़ की हैं। अकाबिरीन के इसी इस्तिम्बात़ पर मुश्तमिल एक किताब "अज़्वाजिर" बनाम "जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल" (मत़्बूआ़ मक्तबतुल मदीना, दा'वते इस्लामी) भी है, येह किताब इस ह़वाले से बहुत ज़ियादा जामेअ़ है।

लेकिन एक बात यहां क़ाबिले तवज्जोह है कि मा'लूमात होना और बात होती है और मा'लूमात के मुत़ाबिक़ अ़मल करना दूसरी बात है, किस

को नहीं पता कि नमाज़ फ़र्ज़ है, यक़ीनन नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत का सभी को इ़ल्म होता है मगर एक बड़ी ता'दाद इ़ल्म के बा वुजूद नमाज़ नहीं पढ़ती। मा'लूम हुवा कि सिर्फ़ मा'लूमात ही काफ़ी नहीं होतीं, इस के साथ दिल में जज़्बा, तरग़ीब और अ़मल की निय्यत होना भी ज़रूरी है, इस के बिग़ैर सिर्फ़ किताबें ही पढ़ते रहना मुफ़ीद नहीं। ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जिन्हों ने पूरी सिहाह़ सित्ता (ह़दीस की मुस्तनद छे कुतुब) पढ़ी होती हैं, लेकिन इस के बा वुजूद नमाज़ का कोई जज़्बा नहीं पाया जाता, या दीगर नेक आ'माल की त़रफ़ कोई तवज्जोह नहीं होती या दीगर आ'माल में कमी, कोताही मौजूद होती है, लिहाज़ा इ़ल्म के साथ अ़मल भी होना चाहिये और अ़मल के लिये दिल में तरग़ीब व तरहीब की मौजूदगी निहायत मुफ़ीद है और इन दोनों के ह़ुसूल के दो त़रीक़े हैं :

पहला त़रीक़ा : तो येह है कि सिर्फ़ अह़काम ही न पढ़े जाएं, बल्कि उस अ़मल के फ़ज़ाइल और वईदें भी पढ़ें या'नी नेक अ़मल की फ़ज़ीलत और अ़मले बद या'नी गुनाह की वईदें पढ़ें, इस की बरकत से दिल पर चोट लगती है और वोह अ़मल की त़रफ़ माइल होता है।

दूसरा त़रीक़ा : अच्छी सोह़बत है। अच्छी सोह़बत, दिल में अ़मल का जज़्बा पैदा करती है, वरना महज़ मा'लूमात अक्सरो बेश्तर अ़मल के लिये किफ़ायत नहीं करतीं।

दिल का इत़्मीनान

सुवाल : किसी काम पर दिल के इत़्मीनान व ग़ैरे इत़्मीनान का गुनाह से कोई तअ़ल्लुक़ है ? या'नी बा'ज़ लोग कोई ग़लत़ काम करते हैं और

समझाने पर जवाब देते हैं कि मैं ने सहीह़ किया, क्यूं कि मेरा दिल मुत्मइन है, मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। क्या दिल या ज़मीर का इत्मीनान इस बात की दलील है कि किया गया अ़मल गुनाह नहीं, ग़लत़ नहीं, बुरा नहीं ?

जवाब : इस बात की कुछ ह़क़ीक़त है भी और नहीं भी। तफ़्सील येह है कि दिल और ज़मीर की ऐसी कैफ़िय्यत के बारे में नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''اَلْاِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ نَفْسِكَ'' या'नी गुनाह वोह है जो तेरे दिल में खटके।[1] या'नी जो दिल में खटके, ज़मीर जिस पर मलामत करे, बुरा समझे वोह गुनाह है या बुरी बात है। लेकिन इस ह़दीस के साथ दूसरी ह़दीस भी याद रखें कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है : ''اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ''[2] **तरजमा :** ''जब तुम में शर्मो ह़या न रहे तो फिर जो चाहे कर।'' मुराद येह है कि जब आदमी की शर्मो ह़या ही ख़त्म हो जाती है तो फिर उसे कोई परवा नहीं होती और उस का दिल जो चाहे वोह करता है। अगर किसी की येह कैफ़िय्यत है कि उस की शर्मो ह़या और इस का लिह़ाज़ ख़त्म हो चुका है और वोह जुर्अत, बेबाकी और निडर पन के साथ गुनाहों का इरतिकाब करता है और उस के बा'द कहता है कि मेरा ज़मीर मुत्मइन है, तो ऐसे आदमी का ज़मीर किसी त़रह़ मो'तबर नहीं, बल्कि ऐसे का ज़मीर ही बे ज़मीर है, ऐसा ज़मीर तो मुर्दा है। ऐसे आदमी का येह कहना कि मेरा ज़मीर मुत्मइन है, इस का कोई ए'तिबार नहीं होगा। येह बात तो बहुत सी जगहों पर डाकू और क़ातिल भी बोल देंगे और उन का दिल भी मुत्मइन होगा, तो क्या مَعَاذَاللہ इस से क़त्ल व डकेती ह़लाल

1 ... مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب البر والاثم، ص1061، حدیث:6517

2 ... بخاری، کتاب الادب، باب اذا لم تستحی فاصنع، 8/29، حدیث:6120

हो जाएगी ? हरगिज़ नहीं। बल्कि एक और ह़दीसे मुबारक भी इस ह़वाले से बड़ी ख़ूब सूरत रहनुमाई करती है। सरकारे दो आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि : ''دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ'' या'नी जिस शै में शक है उस को छोड़ दे और उस को इख़्तियार कर ले जिस में शक नहीं है।[1] या'नी तरद्दुद व शुबा और शक वाले काम को न किया जाए, जैसे अगर किसी काम के बारे में शक हो कि पता नहीं जाइज़ है या ना जाइज़ है, तो उसे छोड़ कर वोह सूरत इख़्तियार की जाए जो बिला शुबा दुरुस्त हो। इस बात को गहराई से समझने के लिये दर्जे ज़ैल तफ़्सील ज़ेह्न नशीन कर लें :

मुआ़मला येह है कि कुछ अह़काम वोह हैं जिन का शरीअ़त ने वाज़ेह़ तौ़र पर हुक्म बता दिया, जैसे नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ'' या'नी ह़लाल भी बिल्कुल वाज़ेह़ है और ह़राम भी बिल्कुल वाज़ेह़ है, लेकिन इन के दरमियान में कुछ शुबा वाले उमूर हैं।[2] अब शुबे वाली चीज़ों के बारे में क्या किया जाए ? तो फ़रमाया कि ''فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَءَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ''[3] या'नी जो शुबा के कामों से बच गया उस ने अपने दीन और इ़ज़्ज़त को बचा लिया। तो शरीअ़त का उसूल येह हुवा कि जो वाज़ेह़ तौ़र पर ह़लाल है, जिस का क़ुरआनो ह़दीस में ह़लाल होना वाज़ेह़ तौ़र पर बयान कर दिया गया, उस के बारे में किसी का ज़मीर कहे कि नहीं, येह काम सह़ीह़ नहीं लग रहा, तो यहां ज़मीर के कहने पर अ़मल नहीं होगा, क्यूं कि जब उस को दीन ने वाज़ेह़ तौ़र पर ह़लाल कर दिया तो अब वहां ज़मीर का कोई अ़मल दख़्ल

1 ...ترمذی، کتاب صفۃ القیامہ، باب-60، 4/232، حدیث:2526

2 ...ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبہات، ص1318

3 ...ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبہات، ص1318

नहीं रहा। हां किसी ख़ारिजी हिक्मत की वज्ह से मुबाह़ वग़ैरा को तर्क करना एक जुदा मुआ़मला है।

इसी त़रह़ जिन कामों को शरीअ़त ने वाज़ेह़ त़ौर पर ह़राम कह दिया, ना जाइज़ कह दिया, गुनाह कह दिया वोह ना जाइज़ व गुनाह हैं और उन्हें छोड़ना ज़रूरी है, ऐसी जगह अगर ज़मीर कहे कि येह काम कर लें, कोई मस्अला नहीं, तो वहां भी ज़मीर की नहीं मानी जाएगी और ज़मीर साहिब को कहीं साइड में रख दिया जाएगा।

तीसरे नम्बर पर वोह काम हैं जिन में शर्ई ए'तिबार से शुबा व तरद्दुद हो, दलील की रू से जाइज़ व ना जाइज़ होना मा'लूम न हो, उ़लमा का इख़्तिलाफ़ हो, वहां शरीअ़त ने रहनुमाई येह फ़रमाई कि शुबा के कामों से बचो। जो बच जाएगा वोह अपने दीन और अपनी इ़ज़्ज़त को बचा लेगा, या'नी न तो लोग उस के मुतअ़ल्लिक़ कहेंगे कि देखो येह क्या कर रहा है और न ख़ुद तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा, नीज़ इस त़रह़ उस का दीन भी महफ़ूज़ रहेगा, क्यूं कि येह शै तक़्वा में दाख़िल है।

इस के बा'द बा'ज़ अवक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन के बारे में वाक़ेई तरद्दुद हो सकता है कि येह मैं करूं या न करूं ? इस का करना दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा ? दोनों त़रफ़ ज़ेह्न जाता है, अब ऐसी सूरत में किस शख़्स को इजाज़त है कि अपने दिल से फ़तवा ले, अपने ज़मीर से पूछ ले और किस को इजाज़त नहीं है ? इस के कुछ अहम मे'यारात हैं। जैसे ऐसा शख़्स जिस की ह़या ही ख़त्म हो चुकी है और वोह बुरे आ'माल पर जरी हो, शरीअ़त पर अ़मल का कोई शौक़ न हो, तो ऐसा शख़्स शर्ई उमूर में हरगिज़ अपने ज़मीर से न पूछे, जब कि जो शख़्स

शरीअ़त पर अ़मल करने वाला हो, आ'माले सालिह़ा से मह़ब्बत रखता हो, गुनाहों से बचने का पूरा ज़ेह्न हो और वोह बचता भी हो, नेकियों से मह़ब्बत हो और वोह नेकियां करता भी हो, बल्कि नेकियों से मह़ब्बत भी ऐसी हो कि नेक अ़मल से उस के दिल को सुरूर मिलता है, क़ल्बी नूरानिय्यत मह़सूस होती है, दिल को ठन्डक और क़रार मिलता हो, उसे ह़लावते ईमानी या'नी ईमान की मिठास नसीब हो, तो ऐसा शख़्स अगर किसी मुआ़मले में मुतरद्दिद हो और उस का ज़मीर उसे येह कहे कि येह काम कर लो, इस में ह़रज नहीं है, तो वोह शख़्स दिल की बात मान सकता है कि उस का ज़मीर आ'ला व मक़्बूल दरजे पर है। लेकिन ऐसे को तलाश करना कारे दुश्वार और ख़ुद को इस मर्तबे पर समझना ख़ुश फ़ह्मी के दरिया में ग़ोते लगाने के मुतरादिफ़ है।

दिल का गुनहगार होना

सुवाल : क़ुरआने मजीद में एक जुम्ला बयान हुवा है कि "उस का दिल गुनहगार है" और अ़वामी त़ौर पर भी येह जुम्ला बोला जाता है। सुवाल येह है कि दिल का गुनहगार होना क्या है ?

जवाब : दिल के गुनाह बहुत हैं, जैसे कुफ़्रो शिर्क कि येह बुन्यादी त़ौर पर दिल ही के गुनाह हैं, क्यूं कि कुफ़्र का मा'ना है : ज़रूरिय्याते दीन में से किसी शै का इन्कार करना और इन्कार व तस्दीक़ दोनों दिल के अफ़्आ़ल हैं। ईमान तस्दीक़े क़ल्बी का नाम है और कुफ़्र इन्कारे क़ल्बी को कहते हैं, फिर इन ही पर दलालत करने वाले मुतअ़द्दद अफ़्आ़ल हैं, जिन्हें कुफ़्र क़रार दिया गया है, लेकिन जो अस्ल ता'रीफ़ है वोह येही है कि दिल में तस्दीक़ के बजाए इन्कार पाया जाए।

इसी त़रह़ शिर्क या'नी **अल्लाह** तआ़ला के साथ किसी को शरीक ठहराना, अस्ल में क़ल्ब का फ़े'ल है कि आदमी दिल में किसी को **अल्लाह** का शरीक समझता है, फिर आगे उस के मज़ाहिर आ जाते हैं। यूंही मुनाफ़क़त भी दिल के साथ होती है, क्यूं कि बन्दा ज़ाहिरी त़ौर पर सारी ह़रकतें मुसल्मानों वाली करता है, रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, लेकिन दिल में तस्दीक़ मौजूद नहीं होती। लिहाज़ा कुफ़्रो शिर्क और मुनाफ़क़त का दिल के गुनाह होना बड़ी आसानी से समझा जा सकता है।

इस के इ़लावा दीगर बहुत से गुनाह हैं जिन का तअ़ल्लुक़ दिल से है, मसलन : तकब्बुर या'नी दूसरे को ह़क़ीर समझना और दूसरे को कुछ न समझना, दिल का फ़े'ल है। ह़सद या'नी येह तमन्ना करना कि दूसरे मुसल्मान से ने'मत ज़ाइल हो जाए। येह तमन्ना दिल ही में होती है, अब इस का बा'ज़ अवक़ात इज़्हार हो जाता है और बा'ज़ अवक़ात सिर्फ़ दिल में येह ख़्वाहिश जमा कर रखता है।

इसी त़रह़ रियाकारी भी क़ल्बी अ़मल है और यक़ीनन दिल ही से होती है कि लोग मुझे अच्छा (नेक) समझें, इ़बादत गुज़ार समझें। इसी त़रह़ तकब्बुर, ह़सद (इस का ज़िक्र अभी हो चुका), बुग़्ज़ो कीना भी गुनाह हैं और येह गुनाह भी अफ़्आ़ले क़ल्ब से हैं। इन गुनाहों का मुर्तकिब **"दिल का गुनहगार"** कहलाएगा। इसी लिये शर्ई इस्ति़लाह़ में भी इन्हें "अमराज़े क़ल्ब" कहा जाता है या'नी दिल की बीमारियां/बाति़नी अमराज़। ह़दीसे मुबारक में फ़रमाया गया है कि "बदन के अन्दर एक टुकड़ा है अगर वोह सुधर जाए तो सारा बदन सुधर जाता है, अगर वोह बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है, सुन लो वोह दिल है।"[1]

1 ...بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدینہ، 1/28، حدیث:52

क्यूं कि अगर दिल से ह़सद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर निकल जाए और इस में इख़्लास, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, यक़ीन, मुराक़बा, मुह़ासबा और **अल्लाह** तआ़ला से मह़ब्बत पैदा हो जाए तो दिल सुधर जाता है। यूं अगर दिल सुधर जाए तो तमाम आ'ज़ा सुधर जाते हैं और अगर दिल बिगड़ जाए, कि इस से इख़्लास निकल कर रियाकारी दाख़िल हो जाए, इस से आ़जिज़ी निकल कर तकब्बुर दाख़िल हो जाए, इस से ख़ैर ख़्वाही निकल जाए और ह़सद दाख़िल हो जाए, इस से दोस्ती निकल कर बुग़्ज़ो कीना दाख़िल हो जाए तो येह दिल बिगड़ने की अ़लामात हैं और जब दिल बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाता है, फिर बन्दा काम भी वोही करता है जो रियाकारी, तकब्बुर, ह़सद, बुग़्ज़ो कीना का तक़ाज़ा हो।

फ़ासिक़ की ता'रीफ़

सुवाल : फ़ासिक़ किसे कहते हैं ?

जवाब : फ़ासिक़ का लफ़्ज़ फ़िस्क़ से बना है, फ़ा, सीन, क़ाफ़, फ़िस्क़ का लुग़वी मा'ना होता है : निकल जाना, बाहर निकल जाना या ख़ुरूज और शर्ई ए'तिबार से फ़िस्क़ का मत़लब है : **अल्लाह** तआ़ला की फ़रमां बरदारी से बाहर निकल जाना।

अब यहां दो बातें पेशे नज़र रहें कि गुनाह की दो क़िस्में हैं : कबीरा और सग़ीरा या'नी बड़ा गुनाह और छोटा गुनाह। जो आदमी कबीरा गुनाह एक मरतबा भी करे वोह फ़ासिक़ है, जब कि सग़ीरा गुनाह बार बार करे तो फ़ासिक़ होता है।

लिहाज़ा फ़ासिक़ का इत़्लाक़ उस पर होगा जो कबीरा गुनाह करे या सग़ीरा गुनाह बार बार करे, अब इस में मज़ीद दो सूरतें हैं : फ़ासिक़ वोह

गुनाह छुप कर करता है या अ़लानिया। अगर वोह छुप कर करे, तो उसे "फ़ासिक़े ग़ैरे मो'लिन" कहा जाता है और अगर अ़लानिया गुनाह करे तो उसे "फ़ासिक़े मो'लिन या फ़ाजिर" कहा जाता है। फ़ासिक़े मो'लिन या फ़ाजिर का लफ़्ज़ इसी के लिये इस्ति'माल होता है।

फिर एक और ए'तिबार से फ़िस्क़ की दो क़िस्में हैं। **पहली क़िस्म :** वोह फ़िस्क़ जिस का तअ़ल्लुक़ अ़क़ीदे से है और **दूसरी क़िस्म :** वोह फ़िस्क़ जिस का तअ़ल्लुक़ अ़मल के साथ हो। क़ुरआने पाक में फ़िस्क़े अ़मली का भी बयान है जैसे ख़िन्ज़ीर का गोश्त खाना, इसे फ़िस्क़ फ़रमाया गया है। जब कि फ़िस्क़े अ़क़ीदा का क़ुरआने का क़ुरआने पाक में बहुत ज़ियादा बयान है बल्कि ज़ियादा तर क़ुरआने पाक में फ़ासिक़ व फ़िस्क़ का लफ़्ज़ फ़ासिक़े अ़क़ीदा या बद अ़क़ीदा के ह़वाले से ही बयान किया गया है। लिहाज़ा जिस का अ़क़ीदा फ़ासिद है, जैसे सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم के ज़माने में ही "क़दरिय्या फ़िर्क़ा" पैदा हो गया था जो तक़्दीर का मुन्किर था और एक "जब्रिय्या फ़िर्क़ा" निकला जो येह कहता था कि इन्सान मजबूरे महज़ है कि वोह कुछ नहीं कर सकता, उस से करवा लिया जाता है। इसी त़रह़ "ख़ारिजी फ़िर्क़ा" जिन की बड़ी पहचान हज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ने बयान फ़रमाई थी कि वोह मुश्रिकों के बारे में नाज़िल होने वाली आयतें मुसल्मानों पर मुन्त़बिक़ करते हैं।[1] अब येह पहचान आज तक चलती आ रही है, आज भी बहुत से बद अ़क़ीदा ख़ारिजी ऐसे हैं जो बुतों के बारे में उतरने वाली आयतें अम्बियाए किराम

1 ...بخاری، کتاب استتابۃ المرتدین والمعاندین وقتالھم، باب قتل الخوارج والملحدین، 9/16

عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व औलियाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم पर मुन्तबिक़ कर देते हैं कि बुतों की त़रह़ مَعَاذَاللہ अम्बिया व औलिया भी बेबस हैं।

इसी त़रह़ एक फ़िर्क़ा "मो'तज़िला" गुज़रा है जो सिफ़ाते बारी तआ़ला में अ़जीबो ग़रीब तावीलात करता था और अ़ज़ाबे क़ब्र का मुन्किर था, यूंही क़ुरआने पाक के बारे में उन के अ़क़ाइद आ़म मुसल्मानों से हट कर थे, उन के नज़्दीक कलामुल्लाह, ख़ुदा की सिफ़त नहीं बल्कि मख़्लूक़ है। येह सब फ़ासिक़ुल अ़क़ीदा फ़िर्क़े हैं जिन का अ़क़ीदा बिगड़ गया, जो अ़क़ीदे में **अल्लाह** तआ़ला की फ़रमां बरदारी से निकल गए।

ख़ुलासए कलाम येह है कि फ़िस्क़ का लुग़वी मा'ना वोही कि निकल जाना और इस्त़िलाह़ी मा'ना **अल्लाह** तआ़ला की फ़रमां बरदारी से बाहर निकल जाना, फिर अगर कबीरा गुनाह किया तो फ़ासिक़ और सग़ीरा पर इसरार किया तो फ़ासिक़, फिर छुप कर किया तो फ़ासिक़े ग़ैरे मो'लिन, अ़लानिया किया तो फ़ासिक़े मो'लिन या उसे फ़ाजिर कहा जाएगा। आगे वोही तक़्सीम है कि अ़क़ीदे के ए'तिबार से फ़ासिक़ है या अ़मल के ए'तिबार से।

गुनाह के काम में मख़्लूक़ की बात मानने का हुक्म

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि शौहर, वालिदैन या हुक्मरान या असातिज़ा या अफ़्सरान किसी ऐसी बात का हुक्म देते हैं जो शरीअ़त की रू से गुनाह है, ऐसी सूरत में क्या हुक्म है कि उन की बात मानना दुरुस्त होगा ख़ुसूसन अगर वालिदैन या शौहर हुक्म दें ?

जवाब : मख़्लूक़ की इत़ाअ़त जाइज़ कामों में की जा सकती है, जब कि गुनाह व मा'सियत में उन की कोई इत़ाअ़त नहीं, ह़दीसे मुबारक में वाज़ेह़

अन्दाज़ में फ़रमा दिया गया कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِی الْمَعْرُوْفِ'' या'नी इताअ़त सिर्फ़ नेकी में है।[1]

एक दूसरी ह़दीसे मुबारक में इर्शाद हुवा ''لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِیْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ'' या'नी ख़ालिक़ की ना फ़रमानी में किसी मख़्लूक़ की इताअ़त नहीं की जा सकती।[2]

इसी त़रह़ क़ुरआने पाक की आयते मुबारका भी है कि

﴿وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّ اتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝۱۵﴾

(پ21، لقمان:15)

तरजमा : और अगर वोह दोनों तुझ पर कोशिश करें कि तू किसी ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराए जिस का तुझे इ़ल्म नहीं, तो उन का कहना न मान और दुन्या में अच्छी त़रह़ उन का साथ दे और मेरी त़रफ़ रुजूअ़ करने वाले आदमी के रास्ते पर चल, फिर मेरी ही त़रफ़ तुम्हें फिर कर आना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा जो तुम करते थे।

इस आयत में वालिदैन ही का बत़ौरे ख़ास तज़्किरा है और फ़रमाया गया कि अगर वोह तुझे शिर्क करने का कहें तो फिर उन की बात न मान, लेकिन दुन्या के मुआ़मलात में उन से अच्छा सुलूक कर। लिहाज़ा वालिदैन किसी गुनाह का हुक्म दें तो अ़मल न किया जाए मसलन अगर वालिदैन दाढ़ी रखने से मन्अ़ करें तो उन का मन्अ़ करना भी गुनाह है और उन की

1 ... مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعۃ الامراء فی غیر معصیۃ، ص789، حدیث:1840(4765)

2 ... المصنف، کتاب السیر، باب فی امام السریۃ یامرہم بالمعصیۃ، 18/247، حدیث:34406

येह बात मानना भी गुनाह है क्यूं कि दाढ़ी रखने का हुक्म नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दिया है कि मूंछें पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ ।[1] लिहाज़ा **अल्लाह** व रसूल عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुक़ाबिल जिस की भी बात होगी वोह नहीं मानी जाएगी ।

वस्वसों का बयान

सुवाल : वस्वसे क्यूं आते हैं, नीज़ इस का हुक्म क्या है ?

जवाब : वस्वसे आने का सबब नफ़्सो शैत़ान हैं कि शैत़ान इन्सान के दिल में बाहर से वस्वसे डालता है, यूंही बा'ज़ इन्सान भी अपनी बातों से वस्वसे डाल देते हैं, चुनान्चे क़ुरआने पाक में है :

﴿الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ(۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ۠(۶)﴾ (پ30، الناس:5،6)

तरजमा : वोह जो लोगों के दिलों में वस्वसे डालता है । जिन्नों और इन्सानों में से ।

या'नी वस्वसे डालने वाला जिन्न भी हो सकता है और इन्सान भी और वस्वसा डालना शैत़ान के बड़े कामों में से है क्यूं कि शैत़ान बुन्यादी त़ौर पर येही करता है कि लोगों को गुनाह और कुफ़्र के वस्वसे डालता है । दूसरी त़रफ़ नफ़्स है कि शैत़ान की त़रह़ नफ़्स भी इन्सान को वस्वसे में मुब्तला करने का ज़रीआ़ है और इस के वस्वसों को "वसाविसे नफ़्सानी" कहते हैं जैसे माहे रमज़ान में शैत़ान के क़ैद होने के बा वुजूद लोगों को वस्वसे आते हैं । येह नफ़्स की त़रफ़ से होते हैं क्यूं कि नफ़्स, शैत़ान के साथ गहरे राबित़े की वज्ह से बहुत त़ाक़त वर हो चुका होता है और इस के वस्वसे

1 ...بخاری، کتاب اللباس، باب اعفاء اللحی، 7/160، حدیث:5893

भी उतने ही मुअस्सिर होते हैं जितने शैत़ान के वस्वसे। मा'लूम हुवा कि वस्वसे की बुन्याद शैत़ान और नफ़्स हैं।

वस्वसों की पहचान का त़रीक़ा

सुवाल : वस्वसों की पहचान कैसे हो ?

जवाब : वस्वसों की पहचान के लिये इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की किताब **"मिन्हाजुल आ़बिदीन"** का मुत़ालआ़ किया जाए। इस किताब में इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने इस पर बहुत ख़ूब सूरत कलाम किया है कि बन्दे के दिल में जो ख़यालात आएं, वोह उन को कैसे पहचाने कि येह रह़मानी हैं या शैत़ानी हैं ? नीज़ अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के रिसाले **"वस्वसे और उन का इलाज"** में भी बहुत ख़ूब सूरत मा'लूमात मौजूद हैं।

वस्वसों में गुनाह की सूरत

सुवाल : दिल में जो वस्वसे आते हैं, येह गुनाह हैं या नहीं ?

जवाब : आ़म त़ौर पर येह होता है कि एक आदमी के दिल में गुनाह का सिर्फ़ ख़याल आता है मगर वोह अपने आप से उस ख़याल को झटक देता है, इस त़रह़ के वस्वसे पर गुनाह नहीं। वैसे दिली ख़यालात की बहुत सी क़िस्में हैं, जिन में से दो येह हैं : ﴾1﴿ एक अ़ज़्म है और अ़ज़्म का मत़लब है पक्का इरादा, जिसे हम "अ़ज़्मे मुसम्मम" कहते हैं। अ़ज़्मे मुसम्मम पर पकड़ होगी और इस पर गुनाह होता है। इसी अ़ज़्म के ज़रीए इन्सान गुनाह के अस्बाब मुहय्या करता है और अपनी त़रफ़ से कोशिश करता है, अगर्चे वोह किसी वज्ह से गुनाह न भी कर सके मसलन : एक आदमी घर से चोरी के इरादे से निकला, फिर किसी वज्ह से वोह चोरी नहीं कर सका, जैसे वहां लोग जाग रहे थे या पोलीस मौजूद थी वग़ैरा। तो ऐसी सूरत में आदमी

गुनहगार होगा, क्यूं कि उस ने गुनाह का अ़ज़्मे मुसम्मम कर लिया था। मा'लूम हुवा कि अ़ज़्मे मुसम्मम जहां पाया जाए वहां गुनाह मिलेगा। ﴾2﴿ दूसरा येह है कि आदमी अपने तसव्वुर में बे ह़याई का काम करे, इस सूरत में भी बन्दा गुनहगार होता है।

रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करना

सुवाल : अगर कोई रिश्तेदार वग़ैरा हमारे साथ बुरा करे तो हमें क्या रद्दे अ़मल दिखाना चाहिये ?

जवाब : इसी से मिलता जुलता सुवाल नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में भी पेश किया गया था कि मेरे रिश्तेदार मुझ से अच्छा सुलूक नहीं करते, लेकिन मैं उन के साथ अच्छा सुलूक करता हूं, तो क्या मैं अपना येह अच्छा अ़मल जारी रखूं ? या'नी मैं उन से सिलए रेह्मी, नेक सुलूक जारी रखूं या मैं भी फिर बदले के त़ौर पर उसी त़रह़ करूं ? तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम अपना अच्छा सुलूक जारी रखो, ह़दीस के अल्फ़ाज़ येह हैं : एक शख़्स ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! मेरे क़रीबी रिश्तेदार हैं, मैं उन से तअ़ल्लुक़ जोड़ता हूं और वोह मुझ से तोड़ते हैं, मैं उन के साथ भलाई करता हूं, लेकिन वोह मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं उन से बुर्दबारी से पेश आता हूं, जब कि वोह मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अगर ऐसा ही है जैसे तुम कह रहे हो तो तुम उन के मुंह में गर्म राख डाल रहे हो और तुम्हारे साथ **अल्लाह** की त़रफ़ से उन के ख़िलाफ़ एक मददगार रहेगा, जब तक तू इस ह़ाल पर रहे।[1] लिहाज़ा रिश्तेदार की बातों

1 ... مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب صلۃ الرحم وتحریم قطیعتھا، ص1062، حدیث:2558(6525)

को बरदाश्त किया जाए और अपना अच्छा सुलूक जारी रखा जाए, बल्कि एक ह़दीसे मुबारक में सरीह़ हुक्म है : ''صِلْ مَنْ قَطَعَكَ'' या'नी कि तुम उस से अपनी रिश्तेदारी जोड़े रखो जो तुम से तोड़ता है।[1] लिहाज़ा जो रिश्तेदार रिश्तेदारी तोड़ता है उसे जोड़ने ही की कोशिश की जाए।

''बहारे शरीअ़त'' की एक इ़बारत का ख़ुलासा है कि : रिश्तेदार अच्छा सुलूक करें और हम भी उन से अच्छा सुलूक करें, येह तो अदला बदला है, जो किसी के साथ भी आदमी कर देता है। सिलए रेह़मी येह है कि वोह तुझ से तोड़े और तू उस से जोड़े, तेरे साथ ज़ियादती करे और तू उस के साथ भलाई करे। सिलए रेह़मी के बुन्यादी मफ़्हूम में येह बात शामिल है कि रिश्तेदार अगर ज़ियादती करते हैं, बुरा भला कहते हैं, रिश्तेदारी तोड़ते हैं तो उन से अच्छे सुलूक की कोशिश की जाए। अलबत्ता येह ज़रूर है कि दुन्यावी ह़िक्मते अ़मली आदमी को अपनानी चाहिये कि बिला वज्ह ख़ुद को ज़िल्लत की जगह पर भी पेश करने के बजाए इस से बचने की सूरतें अपनाई जाएं और अपनी त़रफ़ से कोशिश करे और येह ज़ेह़न बनाए कि मैं उस के लिये दुआ़ए ख़ैर ही करूंगा, मेरे दिल में उस के लिये भलाई का जज़्बा ही रहेगा, मैं उसे जहां ख़ैर पहुंचा सकूंगा तो पहुंचाऊंगा, मैं उस के ज़ुल्म का बदला ज़ुल्म से नहीं दूंगा, उस की गालियों के बदले गाली नहीं दूंगा। हां उन के शर से बचने के लिये अपने आप को कुछ फ़ासिले पर रखें और वक़्तन फ़ वक़्तन हुस्ने सुलूक का मुआ़मला करते रहें।

---

1 ... مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث عقبہ بن عامر الجہنی، 6/148، حدیث: 17457

क़ल्बी गुनाहों का बयान

सुवाल : क़ल्बी (बातिनी) गुनाहों की शरीअ़त में क्या अहम्मिय्यत है, नीज़ क़ल्बी गुनाहों के बारे में मा'लूमात ह़ासिल करना एक मुसल्मान के लिये कितना अहम है ?

जवाब : तमाम गुनाहों के ह़वाले से बुन्यादी ह़ुक्म एक ही है, ख़्वाह वोह बातिनी हों या ज़ाहिरी हों कि मुख़्तलिफ़ सूरतों में मुख़्तलिफ़ अह़काम होंगे, मसलन : बहुत से गुनाह वोह हैं जिन से आदमी का वासिता़ ही नहीं पड़ना, मसलन किसी के वालिदैन नहीं हैं तो वालिदैन से मुतअ़ल्लिक़ अक्सर शरई अह़कामात सीखना ज़रूरी नहीं, इसी त़रह़ किसी पर ह़ज फ़र्ज़ नहीं तो उस पर ह़ज के अह़काम सीखना ज़रूरी नहीं और ह़ज के दौरान होने वाले गुनाहों की मा'लूमात ह़ासिल करना भी ज़रूरी नहीं। इसी त़रह़ कोई आदमी शादी शुदा नहीं तो बीवी बच्चों से मुतअ़ल्लिक़ अह़काम सीखना ज़रूरी नहीं।

इ़लावा अज़ीं कई गुनाह वाज़ेह़ होते हैं जो सब को मा'लूम ही हैं, जैसे चोरी, ज़ुल्म, डकेती, येह वोह गुनाह हैं जिन का सब को इ़ल्म होता है तो इन का बत़ौरे ख़ास इ़ल्म सीखना ज़रूरी नहीं सिवाए इस के कि बा'ज़ चीज़ों में मज़ीद कुछ ऐसी तफ़्सील हो सकती है जिस से आदमी ग़ाफ़िल हो कर उस का मुर्तकिब हो जाता है। जैसे चोरी को सब ना जाइज़ व गुनाह जानते हैं, लेकिन मस्जिद में जब अपनी चप्पल चोरी हो जाए तो उस से मिलती जुलती वहां नज़र आने पर आदमी क़ियास कर लेता है कि चोर मेरी ले गया और येह छोड़ गया, चोरी की फ़िक़्ही ता'रीफ़ तो यहां पूरी नहीं

उतरती, लेकिन बहर ह़ाल येह गुनाह है और एक ए'तिबार से चोरी है। यूंही मक्के मदीने में चप्पल तब्दील कर के लाना भी जाइज़ नहीं।

एक और मिसाल यतीम का माल खाने की है कि येह ह़राम है और इस का इ़ल्म सब को है, मगर किसी शख़्स के इन्तिक़ाल के बा'द उस के यतीम बच्चों के माले विरासत से सिवुम वग़ैरा की नियाज़ का खाना खिला दिया जाता है। अब येह सिवुम का ख़त्म, चेह्लम का ख़त्म एक नफ़्ली सदक़ा है और फ़ी नफ़्सिही सिवुम व चेह्लम जाइज़ है, सवाब का काम है, लेकिन यतीम के माल से करना ना जाइज़ व गुनाह है और उस खाने को, खाने की ख़ुद यतीम भी इजाज़त नहीं दे सकता, क्यूं कि वोह ना बालिग़ है और ना बालिग़ ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता। अब जो शख़्स भी उस सिवुम वग़ैरा से खाएगा, वोह यतीम का माल खाने के गुनाह का मुर्तकिब होगा, लेकिन इस की त़रफ़ लोगों की तवज्जोह नहीं होती है, इस मस्अले में येह उ़न्वान तो मा'लूम होता है कि **''यतीम का माल खाना ह़राम है''** लेकिन इस की तफ़्सीलात मा'लूम नहीं होतीं।

इस के इ़लावा बहुत से गुनाह वोह हैं जिन की तफ़्सीलात के बिग़ैर आदमी उन से बच ही नहीं सकता, जैसे कारोबार में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन का गुनाह होना हर शख़्स वाज़ेह़ त़ौर पर जानता है, जैसे धोका देना, झूट बोलना, ख़ियानत करना, मिलावट करना येह सब ना जाइज़ हैं वग़ैरा वग़ैरा। लेकिन इन के इ़लावा भी शरीअ़त के बहुत सारे अह़काम हैं जिन्हें ''उ़क़ूदे फ़ासिदा'' कहा जाता है या'नी ऐसे एग्रीमेन्ट (मुआ़हदे) जिन में शर्ई ए'तिबार से कोई फ़साद पैदा हो जाए, वोह तफ़्सीलात सब को मा'लूम

नहीं होतीं, लिहाज़ा ताजिर पर तिजारत से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल सीखना ज़रूरी हैं। अगर नहीं सीखेगा तो न सीखने का भी गुनाह होगा और फिर ला इ़ल्मी की वज्ह से दीगर कई गुनाहों का मुर्तकिब होगा।

गुनाहों की एक क़िस्म "बातिनी गुनाह" भी हैं। बातिनी गुनाहों में नव्वे फ़ीसद वोह सूरतें हैं जिन का इरतिकाब "रियाकारी" और "हुब्बे जाह" की वज्ह से होता है, लेकिन इन की मा'लूमात न होने की वज्ह से इस के मुर्तकिब को इस का पता ही नहीं चलता कि मैं रियाकारी या हुब्बे जाह के गुनाह में मुब्तला हो रहा हूं। बातिनी गुनाहों के मुतअ़ल्लिक़ मा'लूमात न होने का नतीजा येह निकलता है कि आदमी रियाकारी कर के बोलता है : मैं रियाकारी थोड़ी करता हूं या लोगों को कमतर समझ कर और ख़ुद को बड़ा समझ कर कहता है कि भई ! मैं तकब्बुर थोड़ी कर रहा हूं, वोह हैं ही मेरे नोकर चाकर, मेरे मुलाज़िम, वोह हैं ही ऐसे। अब यहां मुतकब्बिर शख़्स दूसरों को ह़क़ीर समझ रहा होता है लेकिन उसे इ़ल्म नहीं होता कि मैं तकब्बुर कर रहा हूं, और यूं मैं गुनाह का मुर्तकिब हो रहा हूं, अब ऐसी चीज़ों के ए'तिबार से गुनाहों की मा'लूमात का ह़ासिल करना ज़रूरी है और इस का येही त़रीक़ा है कि दीनी किताबों का मुत़ालआ़ करें, उ़लमाए अहले सुन्नत كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى से गुनाहों के बारे में सीखें और जो ज़राएअ़ इ़ल्म ह़ासिल करने के हैं, उन से इ़ल्म सीखें।

गुनाहों की मा'लूमात ह़ासिल करना

सुवाल : गुनाहों की सरसरी मा'लूमात ह़ासिल करने के बजाए तफ़्सीली मा'लूमात कैसे ह़ासिल करें ?

जवाब : बहुत से गुनाहों के मुतअ़ल्लिक़ वाक़ेई तफ़्सीली इ़ल्म ही ज़रूरी होता है, वरना कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें नेकी करने के गुमान में कर लिया जाता है। चन्द मिसालें मुलाहज़ा फ़रमाएं :

पहली मिसाल : हुक्मे शरीअ़त (या'नी सुन्नत येह) है कि मर्द टख़्ने खुले रखे, इस हुक्म (सुन्नत) पर अ़मल करने के लिये बा'ज़ लोग नमाज़ पढ़ने के लिये शल्वार या पेन्ट वग़ैरा को फ़ोल्ड कर लेते हैं, जो गुनाह है कि नमाज़ में टख़्ने छुपे रह जाएं तो मक्रूहे तन्ज़ीही है, जो गुनाह नहीं। लेकिन नमाज़ में शल्वार मोड़ना, फ़ोल्ड करना मक्रूहे तह़रीमी है, जो गुनाह है।

दूसरी मिसाल : बच्चों को मस्जिद में ले आना अच्छा काम है, मगर इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना, जाइज़ नहीं कि जो मस्जिद में पेशाब व पाख़ाना कर दें या फिर शोर करें और मा'लूम हो कि येह बच्चे शोर करेंगे, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना गुनाह है। अब देखें कि लाने वाला अपनी त़रफ़ से बड़े जज़्बे से नेकी समझ कर बच्चों को लाया, लेकिन इ़ल्म की कमी के सबब गुनाह का इरतिकाब किया। मा'लूम हुवा कि इ़ल्मे दीन सीखना ज़रूरी है और इ़ल्मे दीन सीखे बिग़ैर गुज़ारा नहीं और अ़मल की बुन्याद ही इ़ल्म है, लिहाज़ा इ़ल्म सीखें ताकि येह न हो कि अपनी त़रफ़ से नेकी समझ कर गुनाह ही करते रहें।

गुनाह पर तअ़ावुन करना

सुवाल : गुनाह पर तअ़ावुन करना कैसा ?

जवाब : गुनाह पर तअ़ावुन की मुमानअ़त का हुक्म क़ुरआने पाक में बिल्कुल वाज़ेह़ त़ौर पर मौजूद है। **अल्लाह** तआ़ला ने फ़रमाया :

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪﴾(پ6، المائدۃ:2)

तरजमा : और नेकी और परहेज़ गारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न करो।

कुरआने पाक की नस्से क़त्ई मौजूद है कि गुनाह पर दूसरे की मदद करने की इजाज़त नहीं, बल्कि हुक्म येह है कि गुनाह से रोका जाए। इस ह़वाले से एक बड़ी दिलचस्प ह़दीसे मुबारक है। नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا'' या'नी अपने भाई की मदद करो ख़्वाह वोह ज़ालिम हो या मज़्लूम हो। सह़ाबए किराम رَضِیَ اللهُ عَنْهُم ने अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मज़्लूम की तो हम मदद करें, लेकिन क्या ज़ालिम की भी मदद करें ? फ़रमाया : ''हां ! और ज़ालिम की मदद येह है कि तुम उसे ज़ुल्म से रोक दो।''[1] येह ज़ालिम की मदद यूं है कि उस की आख़िरत के लिये मुफ़ीद है। तो गुनहगार की मदद येह है कि उसे गुनाह से रोक दिया जाए। इस से उन लोगों को सबक़ ह़ासिल करना चाहिये जो दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में एक दूसरे की गुनाह में मुआ़वनत करते हैं और अपने त़ौर पर समझते हैं कि दोस्ती का ह़क़ अदा कर रहा हूं। **अल्लाह** तआ़ला हम सब को हर त़रह़ के ज़ाहिरी बात़िनी अमराज़ और गुनाहों से मह़फ़ूज़ रखे, हमें नेक बनाए और नेकियों पर इस्तिक़ामत अ़त़ा फ़रमाए।

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

1 ...بخاری، کتاب المظالم، باب اعن اخاک ظالما او مظلوما، 3/128، حدیث:2443

फ़ेहरिस्त

#	उ़न्वानात	सफ़ह़ा
1	दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1
2	दिल का ज़ंग दूर करने के 4 त़रीक़े	2
3	गुनाह की पहचान का त़रीक़ा	6
4	दिल का इत़्मीनान	9
5	दिल का गुनहगार होना	13
6	फ़ासिक़ की ता'रीफ़	15
7	गुनाह के काम में मख़्लूक़ की बात मानने का हुक्म	17
8	वस्वसों का बयान	19
9	वस्वसों की पहचान का त़रीक़ा	20
10	वस्वसों में गुनाह की सूरत	20
11	रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करना	21
12	क़ल्बी गुनाहों का बयान	23
13	गुनाहों की मा'लूमात ह़ासिल करना	25
14	गुनाह पर तअ़ावुन करना	26

फ़रमाने आख़िरी नबी ﷺ

नूर जब सीने में दाख़िल होता है तो सीना खुल जाता है। अ़र्ज़ की गई : **या रसूलल्लाह** ﷺ ! क्या इस की कोई निशानी है जिस से नूर पहचाना जाए ? इर्शाद फ़रमाया : हां धोके की जगह (दुन्या) से दूर रहना, दाइमी घर (आख़िरत) की त़रफ़ रुजूअ़ करना और मौत आने से पहले इस की तय्यारी करना।

(شعب الایمان، 7/352، حدیث 10552)